



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक-07.02.2026

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 337/2025 धारा 85/115(2)/80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वाँछित 01 अभियुक्ता को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.12.2025 को थाना दोघट पर वादिया द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि अभियुक्तों 1- आशीष (पति) पुत्र रविन्द्र, 2- संजय (जेठ) पुत्र रविन्द्र, 3- रविन्द्र (ससुर) पुत्र रहतु, 4- सुशील पुत्र रहतु, तथा 02 महिला अभियुक्तों निवासी गण ग्राम धनौरा, थाना दोघट जनपद



बागपत द्वारा विवाह के पश्चात वादिया की पुत्री के साथ दहेज को लेकर मारपीट की जाती थी तथा दहेज में स्कॉर्पियो गाड़ी एवं ₹05 लाख की मांग की जाती थी। अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर अभियुक्तों द्वारा वादिया की पुत्री की हत्या कर दी गई। इस सन्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 337/2025 धारा 85/115(2)/80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 पंजीकृत किया गया था ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के पर मु0अ0सं0 337/2025 धारा 85/115(2)/80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वाँछित 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उक्त अभियोग में दिनांक 14.01.2026 को थाना दोघट पुलिस द्वारा अभियुक्त 1- आशीष पुत्र रविन्द्र, निवासी ग्राम धनौरा थाना दोघट को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01 महिला अभियुक्ता

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
2. म0उ0नि0 नीरज चौधरी थाना दोघट जनपद बागपत ।
3. है0का0 607 सुरेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।
4. म0का0 776 सोनी थाना दोघट जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 06.02.2026

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान थाने के मु0अ0सं0 73/26 धारा 303(2) बी.एन.एस. का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को बाद पुलिस मुठभेड़ में किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा व एक खोखा कारतूस .315 बोर, घटना में प्रयुक्त गाडी ऐसी गोल्ड, एक सीडी बाँस, एक कटर लोहे का, चोरी किये हुए 02 बन्डल बिजली के तार बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 27.01.26 को थाना बडौत पर वादी राममेहर पुत्र बलजीत निवासी बडौत थाना बडौत जनपद बागपत ने लिखित सूचना दी कि अज्ञात चोर द्वारा एलटी विद्युत लाइन में से कुल 700-800 मीटर तार चोरी कर लिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 73/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना



बड़ौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान थाने के मु0अ0सं0 73/26 धारा 303(2) बी.एन.एस. का सफल अनावरण करते हुए निकट नागेश्वर मंदिर बिजरौल रोड़ बड़ौत थाना बड़ौत से 03 अभियुक्तों को बाद पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा व एक खोखा कारतूस .315 बोर, घटना में प्रयुक्त गाडी ऐसी गोल्ड रजिस्ट्रेशन नम्बर DL1LAN0659, एक सीडी बाँस की, एक कटर लोहे का, चोरी किये हुए 02 बन्डल बिजली के तार बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 102/26 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है एवं मु0अ0सं0 73/26 में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. अक्षय पुत्र ईश्वर उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम बिराल थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।
2. मोहित पुत्र रमेश उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम बिराल थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।
3. अमर उर्फ सूरज पुत्र प्रवीण उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम बिराल थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।

घटना स्थल/गिरफ्तारी स्थान- निकट नागेश्वर मंदिर बिजरौल रोड़ बड़ौत थाना बड़ौत आपराधिक इतिहास अभियुक्त अक्षय उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 45/24 धारा 380/457/411 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत।
2. मु0अ0सं0 52/24 धारा 379/411/427 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत।
3. मु0अ0सं0 102/26 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बड़ौत जनपद बागपत
4. मु0अ0सं0 73/26 धारा 303(2) बी.एन.एस. थाना बड़ौत जनपद बागपत।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मोहित उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 20/2019 धारा 307 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत
2. मु0अ0सं0 102/26 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बड़ौत जनपद बागपत
3. मु0अ0सं0 73/26 धारा 303(2) बी.एन.एस. थाना बड़ौत जनपद बागपत

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अमर उर्फ सूरज उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 102/26 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बड़ौत जनपद बागपत
2. मु0अ0सं0 73/26 धारा 303(2) बी.एन.एस. थाना बड़ौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण:-

- एक अवैध तमंचा मय एक खोखा व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर।
- घटना में प्रयुक्त गाडी ऐसी गोल्ड रजिस्ट्रेशन नम्बर DL1LAN0659 ,

- घटना में प्रयुक्त एक सीडी (बाँस की) ।
- घटना में प्रयुक्त एक कटर (लोहे का) ।
- चोरी किये हुए 02 बन्डल बिजली के तार ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री रामकुमार सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री संजीव चौधरी थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री मुकेश कुमार पाल थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 735 संदीप कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 5-है0का0 293 इरशाद थाना बड़ौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 07.02.2026

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर



मु0अ0सं0 42/26 धारा 3/25 ए एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

युसूफ पुत्र वहीद उम्र करीब 41 वर्ष निवासी ग्राम बिलोचपुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री प्रियवृत्त आर्या थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 2-है0का0 439 कुलदीप सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 3- है0का0 410 राजवीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 4-का0 23 अजयपाल थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

